राजस्थानी भाषा को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता : साहित्यकार वेद व्यास

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मरुभूमि शोध संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित

जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर श्री डूंगरगढ़ में शुक्रवार को मरुभूमि शोध संस्थान की ओर से ज्ञान गोठ के अन्तर्गत राजस्थानी भासा रै सबदां री अंवेर अर परोटण रो आंटो विषय पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार और प्रखर विचारक वेद व्यास ने कहा कि हमें राजस्थानी भाषा के सर्वांगीण विकास को भाग भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जन चेतना जगाए बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजनेता जब तक विपक्ष में रहते हैं, तब तक तो भाषा की बात करते हैं लेकिन सत्ता में आते ही भाषा को भूल जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजस्थान के मूल चरित्र को राजस्थानी भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति के पक्ष में एक माहौल उपस्थित होना बेहद जरूरी है। जगह-जगह राजस्थानी के लिए सभाएं की जानी चाहिए है।

विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉ. गजादान चारण ने कहा कि राजस्थानी में एकरूपता की कोई समस्या नहीं है। सरकार जिस दिन राजस्थानी को मान्यता प्रदान कर देगी तथा जिस रूप को निर्धारित कर देगी, उसमें लिखना-पढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थानी लेखकों को सचेत होकर राजस्थानी के ठेठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रारम्भ में युवा कवि छैलूदान चारण ने मायड़ भाषा वंदना प्रस्तुत की। रवि पुरोहित ने आयोजन विषयक जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि लक्ष्मणदान कविया को महाराणा प्रताप राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार, डॉ. गौरी शंकर प्रजापत को पं. मुखराम सिखवाल स्मृति राजस्थानी पुरस्कार, किरण राजपुरोहित नितिला को सूर्यप्रकाश बिस्सा स्मृति पुरस्कार, बाल साहित्य लेखिका विमला नागला को कला डूंगर कल्याणी स्मृति राजस्थानी बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार श्याम महर्षि ने उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मरु भूमि शोध संस्थान राजस्थानी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। डॉ. मदन सैनी ने कहा कि राजस्थानी की अनेक बोलियां इसकी समृद्धि का पर्याय है। किंतु लेखकों को मानकीकरण के क्षेत्र में एक राय होकर कार्य करना चाहिए।

कार्यक्रम में साहित्यकारों व कवियों को सम्मानित किया गया।

- **लक्ष्मणदान कविया, गौरीशंकर प्रजापत, किरण नितिला व विमला नागला को पुरस्कृत किया**

मातृभाषा दिवस पर यहां, विमला नागला की पुस्तक बातां री मुळक, किरण राजपुरोहित के लघुकथा संग्रह आंख्यांळा आंधा, श्रीभगवान सैनी के कहानी संग्रह निरदोख उणियारो का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में रामचन्द्र राठी, सत्य नारायण योगी, सत्यदीप, बजरंग शर्मा, भंवर भोजक, विमल भाटी, राकेश किराडू, विनोद सिखवाल, प्रशांत बिस्सा, डॉ. के. सी सोनी, मनमोहन कल्याणी, डॉ. चेतन स्वामी, डॉ. भंवर भादानी, गणेश बैरवा, तुलसीराम चोरडिया, पृथ्वीराज रतनू, विजय महर्षि, महावीर माली, डॉ. विनोद सुथार,मनीष शर्मा, दया शंकर शर्मा,सोहन लाल ओझा, गोपीचंद नाई की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संयोजन युवा कवयित्री मोनिका गौड़ ने किया।

जानलेवा हमला करने के आरोप में एक गिरफ्तार

आरोपी दो माह से फरार चल रहा था

सादुलपुर, (निसं)। लाठी, डंडों, बरछी और सरियों से मारपीट करने तथा जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि आरोपी अल्ताफ पुत्र मोहम्मद असलम व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 25 राजगढ़ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि लगभग दो माह पूर्व दर्ज मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 27 दिसंबर 2024 को रफीक खान पुत्र हुसैन खान कुरेशी व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 25 कस्बा राजगढ़ ने मामला दर्ज करवाया था तथा दर्ज मामले में बताया कि 26 दिसंबर 2024 की रात्रि को उसकी पुत्रियां साबिर के घर से खाना खाकर हमारे घर आ रही थी, तो रास्ते में दौलत बानो पत्नी असलम ने उसकी पुत्रियां के साथ बदतमीजी की थी तथा अचानक घर के आगे साबिर हाजी, रमजान, तौसीफ व अल्ताफ आदि एकराय होकर अपने हाथों में बरछी, कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे व सरिया लेकर आए तथा उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसके पुत्र के सिर में गंभीर चोटें लगी तथा अन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा आरोपियों ने षड़यंत्र रचकर प्राणघातक हमला किया। घटना के बाद घायल अपने पुत्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने चूरू रेफर कर दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जायेगी।

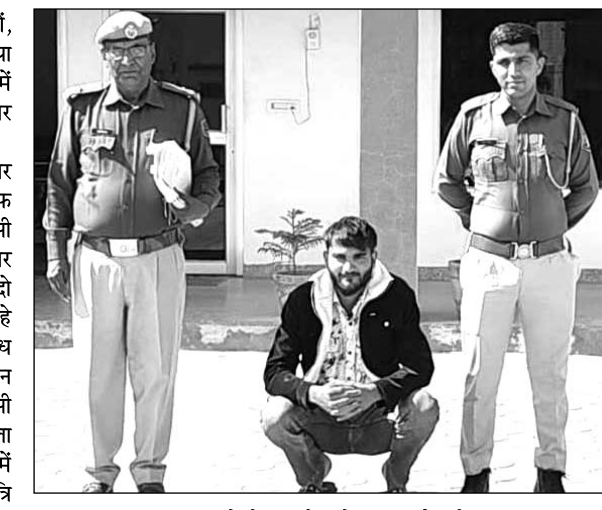

प्राणघातक हमला करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया।

शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन 51वें दिन भी जारी

- **जिला समाप्त करने के विरोध में क्रमिक अनशन धरने पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ शाहपुरा के सदस्य बैठे**

शाहपुरा, (निसं)। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ शाहपुरा के समाजजन महिलाओं सहित नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग की।

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघशाहपुरा के समाजजन देवेंद्र सिंह बूलिया, जोरावर सिंह शुकलेचा, अनिल लोढ़ा, हेमंत कोठारी, नरेंद्र सिंघवी, पदम लोढ़ा, समुंदर सिंह डांगी, पदम कुमार जैन, सचिन कुमार डांगी, विनायक डांगी, सत्यवीर डांगी, विकास सिंघवी, मनीष कुमार जैन, गौरव गोखरू, रौनक सिंह चौधरी, शंभू लाल चौधरी, अभिषेक जैन, सज्जन जैन, सतीश डांगी, शाहिद महिला मंडल सदस्य कविता कोठारी, हर्ष लता कोठारी, प्रिया जैन, विभा जैन, प्रमिला चौधरी सहित कई सदस्य क्रर्मिक अनशन धरने पर बैठे और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम शाहपुरा जिला बहाल करने का ज्ञापन दिया। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि 22 फरवरी को नगर परिषद वार्ड नंबर 2 के वार्डवासी रैली निकालकर क्रमिक अनशन धरने पर बैठेंगे।

वहीं उपखंड कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर दोपहर जिला बचाओ संघर्ष समिति शाहपुरा के अध्यक्ष दुर्गा लाल राजोरा ने शाहपुरा से जिले के समर्थन का स्टीकर कार पर लगाकर विमोचन किया। कार पर लगाए जाने वाले स्टीकर पर शाहपुरा जिले का नक्शा एवं भौगोलिक प्रशासनिक अंकन को दर्शित किया गया। इस स्टीकर से लोगों में जागरूकता आएगी और ब्लैक डे 28 फरवरी को संपूर्ण शाहपुरा पूरे दिन बंद रख विरोध प्रदर्शन आम सभा की जाएगी।

ट्रक चालक ने 33 केवी विद्युत टावर को टक्कर मारी

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ में पिलानी सड़क पर एक ट्रक चालक ने ट्रक को लापरवाही से चलाते हुए 33 केवी विद्युत टावर को टक्कर मार दी, जिसके कारण विद्युत निगम को डेढ लाख रुपए से अधिक की राशि का नुकसान हो गया तथा घटना के बाद आरोपी ट्रक सहित फरार हो गया। इस संबंध में शुक्रवार को राजगढ़ थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि बलवान पूनिया निवासी बैरासर छोटा हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सादुलपुर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि सूचना आई कि राजगढ़ के पिलानी रोड पर 33 केवी लाइन को एक ट्रक चालक ने टक्कर मारकर तोड़ दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक टावर को तोड़कर वहीं फंसा हुआ था तथा ट्रक वाले से पूछताछ की तो गाली गलौच करने लगा। थोड़ी देर बाद मौके से कार्यालय आया और वापस लगभग एक घंटे बाद मौके पर सहायक अभियंता को साथ ले जाकर देखा तो ट्रक मौके पर नहीं था।

अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने शुक्रवार को गश्त के दौरान अवैध देशी हथियार तथा एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशानुसार अवैध हथियारों की धरपकड़ तथा बदमाशों की निगरानी के लिए चलाए जा रहे अभियान अंतर्गत स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में आरोपी संजीव कुमार पुत्र रामकुमार भाकर जाट निवासी बिरमी पट्टा पुलिस थाना सिद्धमुख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में एएसआई महेंद्र सिंह तथा अंकित कुमार कास्टेबल, इंद्र कुमार कास्टेबल, सज्जन सिंह कास्टेबल व लीलाधर कास्टेबल ने आरोपी को दबोचने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। राजगढ़ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बुजुर्ग से लूट के दो आरोपियों की गवाह से शिनाख्त परेड करवाई

पुलिस ने दोनों आरोपितों जेल से पुनः पुलिस कस्टडी में लिया

- **10 फरवरी को भूती निवासी (70) वर्षीय भवानीशंकर सेन से बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की थी**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के बिजौलियां थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग से मुरकियां लूट के दो आरोपितों की मांडलगढ़ सब जेल में गवाह से शिनाख्त परेड करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को फिर से पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरु की है।

जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को भूती निवासी (70) वर्षीय भवानीशंकर सेन शाम छह बजे तिलिस्वां महादेव मंदिर से दर्शन करने के बाद बाइक पर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान मोतीपुरा के नजदीक बाइक से आये बदमाशों ने सेन को रोका और उनके कानों में पहनी डेढ़ तालो सोने की मुरकियां लूटने का प्रयास किया। छीना-झपटी में सेन का एक कान जख्मी हो गया था। इसे लेकर बिजौलियां पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों चिताबड़ा निवासी सत्तू पुत्र रामस्वरुप कंजर व अनिल पुत्र राधेश्याम कंजर को बापर्दा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। इस मामले में गवाह से दोनों आरोपितों सत्तू व अनिल की मांडलगढ़ सब जेल में एसडीएम की मौजूदगी में शिनाख्त परेड करवाई गई थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों जेल से पुनः पुलिस कस्टडी में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

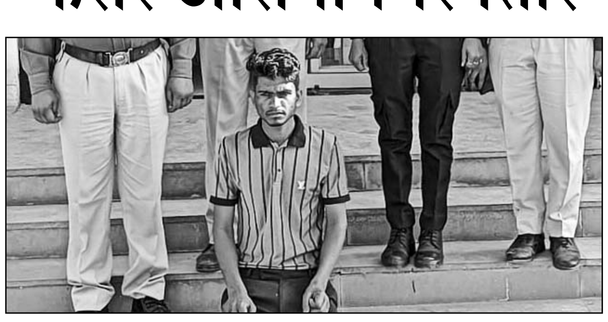

पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा।

सांभरझील, (निसं)। युवती की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था जिसे पुलिस ने महज 15 घंटे के अंतराल में ही दबोच लिया।

मामला महिला अत्याचार से संबधित होने पर नामजद फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तार किए जाने हेतु जयपुर ग्रामीण एसपी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए। सांभर थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारियों की पुलिस टीम के सुपरविजन में पुलिस टीम ने अपना काम करना शुरू किया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में फरार आरोपी महेश कुमार वर्मा उर्फ राहुल पुत्र मदन लाल बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी, नौरंगपुरा थाना सांभरलेक जिला जयपुर को गिरफ्तार कर उसे आगामी पूछताछ हेतु पुलिस टीम जुटी है। पुलिस टीम में शामिल सत्यनारायण सहायक उप निरीक्षक, रामनिवास हैड कानि, श्रवण कुमार कानि, लोकेश कुमार कानि, महेश कुमार कानि, कौशल्या कानि, सुमन महिला की खास भूमिका रही।

विधवा महिला को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

भरतपुर, (निसं)। जिला कलेक्ट्रेट में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक विधवा महिला अपनी पायल व चूडियां कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने बीच सड़क पर रखकर जोर जोर से रोने लग गई।

महिला को रोते देख आस पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जब महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि उसके पति का एक वर्ष पूर्व देहान्त हो गया था। उसके तीन बच्चे हैं लेकिन सरकार के द्वारा ना तो उसे पालनहार योजना का लाभ मिला ना ही विधवा पैंशन स्वीकृत हुई। जिसके चलते मजदूरी कर घर का खर्च चलाती है। वहीं ससुरालीजन भी उसे परेशान करते हैं और बात बात पर ताना मारते हैं। जिससे मजबूर होकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर बैठ गई। इस दौरान लोगों ने महिला को समझाया और अपनी पीड़ा एसडीएम को बताने की बात कही। जिसके बाद सूरजपोल निवासी महिला बबीता एसडीएम राजीव शर्मा के पास पहुंची। जहां पीड़िता ने बताया कि उसके पति बन्टी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन उसे ना तो विधवा पैंशन ना ही पालनहार योजना का लाभ मिला। मेहनत मजदूरी कर गुजारा करती है। ऐसे में घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। वहीं बड़ी लड़की भी अब शादी के लायक हो गई है। जिसकी शादी भी करनी है। जिस पर एसडीएम राजीव शर्मा ने महिला को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिसके बाद महिला शांत हुई और अपने घर चली गई।

विधवा महिला ने मांगों को लेकर गुहार लगाई।

मादक पदार्थ तस्कर को पांच साल की सजा

जालोर, (कासं)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर हारून ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी छगनलाल को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि 25 जनवरी 2018 को मोटरसाइकिल लूट की सूचना पर आकोली से बिबलसर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान बिबलसर से आकोली तरफ एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल को रूकवाकर उस पर सवार दो व्यक्तियों की हरकत संदिग्ध लगने पर मोटरसाइकिल चालक रामसिंह पुत्र विक्रमसिंह निवासी सेलवाडा रेवदर जिला सिरोही व पीछे बैठे व्यक्ति का नाम छगनलाल पुत्र मीठाराम निवासी धनानी सायला बताया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर पीछे बैठे व्यक्ति छगनलाल की जेब से 400 ग्राम अफीम का दूध मिला। वहीं मोटरसाइकिल व चालक रामसिंह के पास किसी प्रकार की मादक पदार्थ नहीं पाया गया। पुलिस पूछताछ में रामसिंह व छगनलाल ने बताया कि देशावार में व्यापार में घाटा होने पर हम दोनो ने अवैध अफीम का धंधा शुरू किया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सैशन न्यायाधीश हारून ने अवैध अफीम की तस्करी करने के मामले में आरोपी छगनलाल को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई। वहीं रामसिंह को सन्देह का लाभ देते हुए बरी किया। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने की।

शांतिभंग के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने धोलिया टोल नाके पर टोल कर्मचारियों के साथ शराब पीकर झगड़ा करने के आरोप एक आरोपी के खिलाफ शांतिभंग के आरोप में कार्यवाही की गई है।

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग सीआई राजगढ़ ने बताया कि

- **धोलिया टोल नाका कर्मचारियों के साथ शराब के नशे में झगड़ा किया था**

ओमप्रकाश हेड कास्टेबल मय पुलिस टीम के गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें गश्त के दौरान सूचना मिली की एक व्यक्ति टोल नाका पर टोल कर्मचारियों के साथ शराब पीकर झगड़ा कर रहा है। जिस पर वे रवाना होकर धोलिया टोल नाका पहुंचे तो कर्मचारियों ने बताया कि एक व्यक्ति शराब पीकर एक ट्रक लेकर आया था, जिसके ट्रक को उसका मालिक लेकर रवाना हो गया एवं चालक को यहीं पर उतारकर चला गया, जो अभी-अभी ददरेवा की तरफ रवाना हुआ है, जो दूर से जाता हुआ दिखाई दिया। जिसको पुलिस टीम ने रोककर टोल पर झगड़ा करने का कारण पूछा तो अत्यधिक आवेश में आ गया व कहने लगा कि आज टोल वालों ने मेरे से टोल मांगा था मैं कोई टोल नहीं दुंगा, टोल मागंने वाले को जान से खत्म कर ही दम लुंगा। जिसको काबू कर नाम पता पूछा तो अपना नाम नेतराम पुत्र सोहनसिंह निवासी भालेरी पीएस भालेरी होना बताया। जिसको मौके पर गिरफ्तार किया गया।

शराब के नशे में टोल कर्मचारियों से झगड़ा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

मोबाइल छीनने से कुण्ठित छात्र आत्महत्या मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

- **14 फरवरी की रात को छात्र का शव पेड़ पर लटका मिला था**
- **शव की तलाशी के दौरान मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट मिला था**

मालपुरा, (निसं) पचेवर थाना क्षैत्र के बरोल गांव में 14 फरवरी की रात छात्र आत्महत्या के मामले में थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पचेवर थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 14 फरवरी की शाम बरोल गांव में कक्षा 12 के छात्र अभिषेक वैष्णव द्वारा गांव के बाहर खेत मे ंनीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगा आत्महत्या की मिली सूचना पर वो स्वयं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच ग्रामीणों के सहयोग से छात्र के शव को नीचे उतार मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी मे रखवाया। शव की तलाशी के दौरान मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट मिला जिसे अनुसंधान के लिये पुलिस सुपुर्दगी में लिया गया। मृतक के मामा बनवारी वैष्णव, सरपंच हनुमान गुर्जर, सत्यनारायण सहित परिजन व ग्रामीण सुसाइड नोट में लिखे गये चारों व्यक्तियों के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कर व गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गये थे। तकरीबन घटना से 20 घंटे तक चले घटनाक्रम मे अस्पताल पहुंचे एसडीएम अमित चौधरी, पुलिस उपाधिक्षक आशीष प्रजापत व तहसीलदार पवन मातवा की समझाइश व आरोपियों की सात दिवस में गिरफ्तारी के दिये आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द करते हुये विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश व मामले की जांच शुरू की गई।

सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर जुटाये साक्ष्यों के आधार पर सुसाइड नोट में नामजद आरोपी रतन पुत्र हरिराम जाट व मुकेश पुत्र कानाराम जाट निवासी बापडून्दा व एक अन्य तीसरे आरोपी कानाराम गुर्जर को दस्तयाब कर की गई पूछताछ में साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को छात्र आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया।

बरोल गांव में छात्र आत्महत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी कानाराम गुर्जर को मृतक अभिषेक द्वारा दिसम्बर से ही स्कूल मे पढ़ने वाली एक छात्रा के प्रेम प्रसंग को लेकर सुसाइड करने के बारे में जानकारी दी जा रही थी। लेकिन कानाराम ने यह जानकारी रतन व मुकेश से सांझा करने के बजाय उन्हें बार-बार अभिषेक का मोबाइल ले जाने के लिये लगातार उकसाता रहा। 14 फरवरी को रतन व मुकेश ने अभिषेक का मोबाइल छीन लिया जिसके बाद अभिषेक ने देर शाम को आत्महत्या कर ली। मामले मे अनुसंधान जारी है।